COURSE NAME –M.Ed III SEMESTER
SUBJECT NAME = ELEMENTARY EDUCATION FOR DIFFERENTLY ABLED (SC-1)

HISTORICAL PERSPECTIVES OF SPECIAL EDUCATION (INDIA & ABROAD)
(भारत और विदेशों में विशेष शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेछ्य)

विशिष्ट व्यक्तियों की संकल्पना कोई नवीन संकल्पना नही रही है,लेकिन विशिष्ट शिक्षा अपेछाकृत नवीन अवधारणा है | वास्तव में विशिष्ट शिक्षा का प्रारम्भ यूरोपीय देशों में हुआ,जिसका उपयोग चिकत्सकीय तौर पर किया जाता है| इसके पूर्व विशिष्ट बालकों के साथ एक समान व्यव्हार किया जाता था और उनकी तुलना सामान्य बालकों में की जाती थी | जिस कारण ऐसे बालकों में हीनता का भाव पनपता था | अपवादी बालकों की संपूर्ण सुरक्षा देखभाल तथा उनको एकांत स्थान में रखना ताकि समाज के क्रूर व्यवहार से सुरक्षित रखा जा सके |

फ्रांसीसी चिकित्सक जीन ईटार्ड ने १८ वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में १२ वर्ष के एक बालक को जंगलों वस्त्रहीन घूमता हुआ पाया, उन्होंने उसकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की |वे उस बालक को सामान्य बालक के सामान व्यवहार करने के लिए तैयार तो नही कर सके ,किन्तु धैर्य तथा क्रमबद्ध शैक्षणिक प्रक्रिया द्वारा उसके व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया |

वर्तमान समय में विशेष आवश्यकता वाले बालको की शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति वर्षों के वैश्विक प्रयास का परिणाम है | विशेष आवश्यकता वाले बालकों का इतिहास देखे तो पता चलता है कि इस प्रकार के बच्चों को शैशवावस्था में ही मार दिए जाने के प्रमाण मिलते है | विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की ओर समाज का ध्यान उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ में गया और तब पाश्चात्य देशों में संस्थानीकरण अस्तित्व में आया जिसमे एक बड़ी संस्था बनाकर प्रत्येक उम्र के हजारों अक्षमता युक्त बालकों एवं व्यक्तियों को सामान्य आबादी से दूर रखा जाने लगा जहाँ एक बहुत बड़े भवन में समाज सेवा के नाम पर पुनर्वास सेवाएं आरम्भ हुई जिसके एक अवयव के रूप में विशेष शिक्षा भी थी | बाद में बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में १९७० के दशक में वोल्फेन्स्बर्गर, निरजे द्वारा दिए गए सामान्यीकरण के सिद्धांत ने संपूर्ण

विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा और पुरे विश्व ने यह महसूस किया कि संस्थानीकरण इस सामाजिक समस्या का समाधान नहीं है बल्कि इसके बजाय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में रखकर सामुदायिक प्रयासों से उन्हें जहाँ तक संभव हो सामान्य व्यक्ति के समान समस्त अवसर उपलब्द्ध कराये जाएँ और अक्षमता युक्त बालकों को शिक्षित करके उन्हें समाज का एक उत्पादक अंग बनाया जाए | यह वह समय था जब इस सन्दर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आरम्भ किये गए जिसका परिणाम आज हमारे सामने समावेशी शिक्षा के रूप में है | बीसवीं सदी में वैश्विक स्तर पर अक्षमता युक्त व्यक्तियों के पुनर्वास एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने बल्कि विभिन्न देशों के द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओ,संधिपत्रों,योजनाओं और अधिनियमों पर समझौता किया गया ताकि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करते हुए समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके |

****

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर विशेष शिक्षा के लिए किये गए प्रयासों के माध्यम से हम विशेष शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेछ्य को समझ सकेंगे |

(अ) अंतराष्ट्रीय स्तर पर विशेष शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेछ्य :-

(1) **मानसिक मंदित व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा पत्र १९७१**:- संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन १९७१ से १९७५ के दरम्यान निःशक्त व्यक्तियों के प्रति दो प्रमुख घोषणा पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गयी जिनमे से एक मानसिक मंदित व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा पत्र " १९७१ से सम्बंधित था जो २० दिसंबर १९७१ को पारित हुआ | इस घोषणा पत्र के अंतर्गत,दूसरे व्यक्तियों के समान ही मानसिक अक्षमता युक्त व्यक्तियों को भी शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया और इसके अलावा जहाँ तक संभव हो उन्हें अपने परिवार अथवा पालक के साथ रहने और सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में भागीदारी की सुनिश्चितता का निर्धारण किया गया |

(2) निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र :- "निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र'' १९७५(The Declaration on The Rights of Persons with Disabilities) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिनांक ९ दिसंबर १९७५ को स्वीकृत किया गया | यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा थी | यह घोषणा अक्षमता युक्त व्यक्तियों की शिक्षा,चिकत्सकीय सेवाएं,नियोजन सेवाएं,सामाजिक सुरक्षा,रोजगार,अपने परिवारों के साथ रहना,सामाजिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भागीदारी,सभी प्रकार के शोषण,कुप्रयोग या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण एवं स्वयं का उपयोग और क़ानूनी सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता को बार बार दोहराती है **|**

(3) IDDP/इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज,१९९२ :-

पुरे विश्व में विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने और इस कार्य में विभिन्न देश के सरकारों और संगठनों को सक्षम बनाने और इनके लिए विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए १९८३ से १९९२ तक " विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक '' का आयोजन किया गया था | १४ अक्टूबर १९९२ को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ३ दिसम्बर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और ३ दिसम्बर १९९२ को यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप मनाया गया | प्रत्येक वर्ष यह अलग - अलग थीम पर केंद्रित होता है | १८ दिसम्बर २००७ को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
"इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स" को परिवर्तित कर इसका नाम "इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलटीज" कर दिया |

****

(4) सल्मांका कांफ्रेंस 1994 :- सन् 1994 में सल्मांका,स्पेन में,स्पेन सरकार और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर ७-१० जून,१९९४ में एक विश्व सम्मलेन हुआ जिसमे सल्मांका कथन और कार्यवाही की रुपरेखा की घोषणा की गयी |

इस सम्मलेन में समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया , जिसमे निम्नाकित निर्णय लिए गए :-

(i) सभी के लिए विद्द्यालय: विद्द्यालय को सभी बच्चों को समायोजित करना चाहिए भले ही वह शारीरिक,बौद्धिक,संवेगात्मक,सामाजिक,भाषाई अन्य स्थितियों के आधार पर पिछड़े अथवा अक्षम हो |

(ii)नियमित विद्यालय समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली साधन है एवं किफायती भी |

(iii)शिक्षण सेवाओं में सुधार के लिए सर्वोच्च निति और बजटीय प्राथमिकता दें ताकि व्यक्तिगत भिन्नता या समस्याओं के बिना सभी बच्चों को सम्मिलित किया जा सके |

(iv)समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को कानून या निति के एक विषय के रूप में अपनाया जाय और सभी बच्चों का नामांकन सामान्य विद्द्यालय में किया जाय जब तक की उनको कुछ और करने का कारण नही मिल जाता |

(v)समावेशित विद्द्यालयों वाले देशों के साथ प्रदर्शन परियोजनाओं का विकास और आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना |

(vi) निर्णय सृजन एवं नियोजन प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत संस्थाओं के साथ अभिभावक और सामुदायिक समितियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना |

(vii) पूर्व - प्राथमिक स्तर पर और उसके साथ ही साथ समावेशी शिक्षा के व्यावसायिक पहलुओं के स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास करना |

(viii) आरम्भिक और सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा के प्रावधानों को शामिल करना |

(5)यूनाटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज,२००८:-

यु.एन.सी.आर.डी.पी.डी अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों का एक व्यापक घोषणा पत्र है | जो वृहद अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों की वृहत वकालत करता है | वस्तुतः अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यह एक आधिकारिक कदम है जो पूर्ण समावेश का पक्षधर है | यु.एन.सी.आर.डी.पी.डी को १३ दिसम्बर २००६ को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत किया गया था | भारत ने इस संधिपत्र पर ३० मार्च २००७ को हस्ताक्षर किया और इसकी अभिपुष्टि १

अक्टूबर २००७ को की थी | ३ मई २००८ को यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अस्तित्व में आया |

(i) व्यक्तियों की अन्तर्निहित गरिमा के लिए ,स्वयं विकल्प चुनने की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान

(ii) गैर भेदभावपूर्ण निति (NON DISCRIMINATION)

(iii) समाज में पूर्ण और प्रभावशाली भागीदारी और समावेशन

(iv) मानव विविधता और मानवता के भाग के रूप में विकलांग व्यक्तियों क अंतर और स्वीकृति के लिए सम्मान

(v) अवसरों की समानता

(vi) सुगम्यता

(vii) पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता

(viii) अक्षम बच्चों की उभरती क्षमता के लिए सम्मान और अपनी पहचान को संरक्षित करने के लिए विकलांग बच्चों के अधिकारों का सम्मान |

****

राष्ट्रीय स्तर पर विशेष शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :-

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर कोठारी आयोग (१९६४ -१९६६) आई.ई.टी.सी (अक्षम/विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा १९७४) एवं एन.पी.ई (राष्ट्रीय शिक्षा निति १९८६)

(i)कोठारी आयोग :- सन १९६४ में भारत की केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्द्येश्य से एक आयोग का गठन किया जिसे भारत का प्रथम शिक्षा अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है | कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम अपने कार्यवाही की योजना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की |

(ii)समेकित शिक्षा :- कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर अमल करते हुए और भारत में विशेष शिक्षा की समस्याओं और योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को देखते हुए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने सन १९७४ में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत

की जिसे " विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के रूप में जाना जाता है (इंट्रीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन)के नाम से जाना गया जिसे संक्षिप्त रूप में हम आई.ई.डी.सी भी कहते है | इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियों को किताबों,लेखन सामग्री,विद्यालयी पोशाकों,यातायात ,विशेष सहायक सामग्री और यंत्रो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | १९७७ में
आई.ई.डी.सी कार्यक्रम को शिक्षा के दूसरे प्रमुख परियोजनाओं जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी) और सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.एस),के साथ मिला दिया |

(iii)एन.पी.ई. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति,१९८६) :- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन "राष्ट्रीय शिक्षा नीति"१९८६ के रूप में हुई जिसमे इस बात पर जोर दिया गया कि शैक्षणिक अवसरों कि समानता को लागू किया जाय | राष्ट्रीय शिक्षा नीति ,१९८६ में अक्षमता युक्ता बालकों कि शिक्षा के लिए निम्नाकित प्रावधान किये गए |

(i) जहाँ तक संभव हो, गामक विकलांग और अन्य सौम्य अथवा अल्प विकलांग बच्चों का शिक्षण दूसरे बच्चों के साथ सामान्य तरीके से हो |

(ii) गंभीर विकलांग बच्चों के लिए , जहाँ तक संभव हो, जिला मुख्यालय में विशेष विद्यालय के साथ छात्रावास की सुविधा प्रदान की जनि चाहिए |

(iii) विकलांग बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए

(iv) विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्वैक्षिक संगठनों के द्वारा किये गए प्रयत्न को अधिक से अधिक संभावित तरीकों से प्रोत्साहित करना |

****

(1) आर.सी.आई.एक्ट(भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम,१९९२) :-

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम १दिसम्बर १९९२ को संसद में पारित किया गया और २२ जून १९९३ को यह अस्तित्व में आया | सन् २००० में इस अधिनियम में संशोधन किया गया | विकलांगता के क्षेत्र में समरूपता कि जरुरत और न्यूनतम मापदंड तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के उद्द्येश्य से

यह अधिनियम पुरे देश में लागू किया गया | भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्द्येश्य इस प्रकार है |

(i) पुनर्वास क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियमित करना |

(ii) विकलांग व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वसन के कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए एक समान मापदंड लागू करना |

(iii) पारस्परिक आधार पर विदेशी डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना |

(iv) पुनर्वास व्यवसायियों का केंद्रीय पुनर्वास पंजिका पंजीकरण करना और उनका रखरखाव करना |

(v) पुनर्वसन और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना |

(vi) मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्र को मान्यता प्रदान करना |

(2) पी.डब्लू.डी.एक्ट (विकलांग जन अधिनियम ,१९९५) :-

विकलांग जन (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम १९९५ पी.डब्लू.डी.एक्ट भारतीय संसद में पारित किया गया | यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम कानून है जो विभिन्न विकलांगताओं को समाहित करता है | यह दिसम्बर १९९५ को पारित किया गया और ७ फरवरी १९९६ को यह पूरे देश में लागू हुआ |

इस अधिनियम के मुख्य उद्द्येश्य इस प्रकार है :-

(i) विकलांग अथवा अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास, रोजगार ,प्रशिक्षण ,शिक्षण चिकत्सकीय देखभाल,विकलांगता अथवा अक्षमता कि रोकथाम और उनके अधिकारों के संरक्षण को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जिम्मेदारी लेना सुनिश्चित करना |

(ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध - मुक्त वातावरण का निर्माण करना |

(iii) विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर करना |

(iv) अक्षम व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यहार और शोषण से उनकी रक्षा करना |

(v) ऐसी नीतियां बनाना जिससे अक्षम व्यक्तियों के लिए व्यापक कार्यक्रमों सेवाओं और समान अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके |

(vi) समाज कि मुख्यधारा में विकलांग व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाना |

पी.डब्लू.डी.एक्ट के अंतर्गत सात प्रकार कि विकलांगता को सम्मिलित किया गया है :- दृष्टिहीन,अल्प दृष्टि,कुष्ठ रोग मुक्त,श्रवण क्षति,गति अक्षमता मानसिक मंदता,मानसिक रुग्णता |

****

(3) शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.ई.,२००९) :-

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.,२००९) अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा ४ अगस्त २००९ को पारित किया गया जिसका मुख्या केंद्र ६-१४ साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों को अमल में लाना था | यह अधिनियम १ अप्रैल २०१० को अस्तित्व में आया और इसके साथ ही भारत उन १३५ देशों में शामिल हो गया जहाँ शिक्षा को प्रत्येक बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्य है | इस अधिनियम में प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम मानकों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और निजी विद्यालयों में २५% सीटों के आरक्षण का निर्धारण गरीब विद्यार्थियों के लिए किया गया है | इसके अनुसार कोई भी विद्यार्थी अक्षमता के आधार पर विद्यालय में अमान्य अथवा निष्कासित नहीं किया जा सकता है |

इस अधिनियम के आने से निःशक्त विद्यार्थियों के साथ मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का लाभ मिला जिसके परिणामस्वरूप अक्षम और विकलांग व्यक्तियों के नामांकन दर में काफी वृद्धि हुई जिससे उन्हें सामाजिक,आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ |

(५) निःशक्त जन अधिकार अधनियम २०१६ :-

निःशक्त जन कानून के लगभग इक्कीस सालों के लंबे अंतराल के बाद भारतीय संसद ने नया निशक्त व्यक्ति अधिकार कानून २०१६ पारित किया है जो एक अत्यंत ही व्यापक एवं दूरदर्शी कानून है इस कानून में शामिल

अक्षमता की २१ श्रेणियाँ है जबकि निशक्त जन कानून १९९५ में मात्र सात प्रकार की अक्षमता की श्रेणियाँ रखी गयी थी |

निशक्त जन अधिकार कानून २०१६ की में निम्नलिखित अक्षमताएं है जिनकी संख्या २१ है :-

(1) दृष्टिबाधिता
(2) अल्प दृष्टि
(3) कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति
(4) श्रवण बाधित
(5) लोकोमोटर विकलांगता
(6) बौनापन
(7) बौद्धिक विकलांगता
(8) मानसिक बीमारी
(9) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
(10) सेरेबल पाल्सी
(11) मस्कुलर डिस्ट्राफी
(12) जीर्ण तंत्रिका सम्बन्धी स्थितियाँ
(13) विशिष्ट सीखने की अक्षमता
(14) मल्टिपल स्केलेरोसिस
(15) भाषण और भाषा संबंधी विकलांगता
(16) थैलेसीमिया
(17) हिमोफिलिया
(18) सिकल सेल रोग
(19) बहरापन सहित कई विकलांगता
(20) एसिड अटैक पीड़ित
(21) पार्किन्सन रोग